छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

—::अधिसूचना::—

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च .2018

क्रमांक एफ 20—43/2017/11/6— राज्य शासन एतद् द्वारा संलग्न अनुसार ''छ.ग. राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018'' लागू करता है। यह नीति दिनांक 01 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 को समाप्त होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ. कमलप्रीत सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

छ.ग. राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018

तालिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	प्रस्तावना	3
2.	नीति की कार्यावधि	4
3.	उद्देश्य	4
4.	रणनीति	4
5.	परिभाषाएं	4
6.	पात्रता	5–6
7.	पार्कों के चयन की प्रक्रिया	6
8.	लॉजिस्टिक्स पार्क के प्रमुख घटक	7
9.	नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क को दी जाने वाली अनुदान, छूट व रियायतें–	7–10
10.	लॉजिस्टिक्स पार्क के डेव्हलपर के दायित्व	10
11.	बजटीय प्रावधान	10
12.	कियान्वयन अवधि व समीक्षा	10

परिशिष्ट

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	परिभाषाएं	
	नियत दिनांक, औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र, औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क, नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयरहाउस, प्लांट एवं मशीनरी (यांत्रिक सुविधाएँ), स्थायी पूंजी निवेश, अधोसंरचनात्मक लागत, भूमि, भूमि विकास, पहुंच मार्ग, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति निवेश, आंतरिक सड़के एवं ड्रेनेज व्यवस्था, शेड भवन, लॉजिस्टिक अधोसंरचना, आधारभूत अधोसंरचना, वाणिज्यिक प्रमाण पत्र, योजना लागत, कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय/प्रबंधकीय पद, राज्य के मूल निवासी, स्थायी रोजगार, पार्क परिसर, कार्य निष्पादन चरण।	11–13

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018

1. प्रस्तावना (Preface)–

राज्य गठन के पश्चात् से पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर औद्योगिक नीतियों (औद्योगिक नीति 2001–06, 2004–09, 2009–14, 2014–19), कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2012–19, आटोमोटिव उद्योग नीति 2012–17, सोलर पॉलिसी, तथा सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं में निवेश की नीति 2012–19 के नियोजित समयबद्ध एवं पारदर्शी क्रियान्वयन से राज्य ने देश के औद्योगिक मानचित्र में अपना प्रमुख स्थान बनाया है। राज्य के नैसर्गिक संसाधनों का राज्य में ही मूल्य संवर्धन हो रहा है इससे न केवल राज्य में पूंजी निवेश में तीव्रता से वृद्धि हुई है अपितु रोजगार के अवसरों में/संसाधनों में वृद्धि हुई है। वर्ष 2013–17 की अवधि में जी.व्ही.ए. (ग्रॉस वैल्यू एडेड) में मैन्युफेक्चरिंग सेक्टर का योगदान 16.4 प्रतिशत से बढ़कर 22.6 प्रतिशत हुआ है जो कि देश में सर्वाधिक वृद्धि है।

राज्य में रेल लाईन के विकास की योजनाएँ ईस्ट कॉरीडोर, ईस्ट–वेस्ट कॉरीडोर, दल्लीराजहरा रावघाट रेल लाईन, रावघाट–जगदलपुर परियोजना का तीव्रता से क्रियान्वयन पर आगामी पॉच वर्षो में 1300 किलोमीटर नई रेल्वे लाईनों का विकास होगा। इसी प्रकार राज्य में लगभग 33000 किमी. सड़कों का जाल बिछाया जाकर परिवहन सुविधाओं में अभूतपूर्व वृद्धि की गई है और साथ ही लगभग 4000 किमी. सड़को का निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य से निर्यात हेतु आई.सी.डी. में की गई सुविधाओं में वृद्धि की गई है तथा एअर कार्गो भी शुरू किये जाने के प्रयास जारी है।

राज्य के औद्योगिक विकास के समानान्तर वाणिज्यिक विकास भी आवश्यक है। इसके साथ ही औद्योगिक विकास के लिये आदर्श एवं बेहतर लॉजिस्टिक्स सुविधायें होना मुख्य घटक है। राज्य में आदर्श मूल्यों पर भूमि की उपलब्धता, श्रम शांति, निर्बाध व गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति, स्थापना लागत में कमी, राज्य की भौगोलिक स्थिति केन्द्रीयकृत स्थिति में होना, संवेदनशील प्रशासन, खनिज बाहुल्य प्रदेश होने से निर्माण लागत में कमी आदि ऐसे बिन्दु हैं जिसके समुचित उपयोग के लिये लॉजिस्टिक्स सुविधायें होना आवश्यक है। वाणिज्यिक विकास से निर्यात की संभावनाओं में वृद्धि होती है। देश में 01 जुलाई 2017 से जीएसटी (एक देश एक कर) लागू होने का लाभ भी छत्तीसगढ़ को अधिक से अधिक दिलाने हेतु व्यापार एवं वाणिज्य का सुनियोजित विकास हेतु अधिकाधिक एवं सुगम लॉजिस्टिक्स सुविधायें आवश्यक है।

राज्य की उपरोक्तानुसार उपलब्ध शक्तियों, नियोजित ढंग से हो रहे औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में वाणिज्यिक विकास को एक नया आयाम देने के लिए एक पृथक **छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018** बनाया जाना प्रस्तावित है। ताकि राज्य को औद्योगिक विकास के साथ–साथ समग्र रूप से वाणिज्यिक विकास को भी तीव्र गति दी जा सकें।

2. नीति की कार्यावधि–

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति–2018 की कार्यावधि 5 वर्ष होगी व यह अवधि 1 अप्रेल 2018 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2023 तक समाप्त होगी।

3. उददेश्य (Objectives) –

3.1 राज्य को लॉजिस्टिक्स सेवा के क्षेत्र में विकसित करना तथा राज्य की भंडारण क्षमता में वृद्धि करना।

3.2 लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना का आधुनिकीकरण एवं मशीनीकृत प्रक्रिया का उपयोग।

3.3 रोजगार के नये अवसरों का सृजन ।

3.4 निजी निवेश को प्रोत्साहन करना ।

3.5 देश के प्रतिष्ठित व्यवसायिक समूहों को राज्य में निवेश हेतु आकर्षित करना।

3.6 व्यापार एवं वाणिज्य की लागत में कमी कर उपभोक्ता सामग्री के मूल्यों को कम करना।

3.7 राज्य में उपलब्ध मानव संसाधनों का कुशलता से दोहन।

4. रणनीति (Strategy) –

4.1 राज्य में बड़े आकार के लॉजिस्टिक्स पार्क उपयुक्त स्थानों पर निजी निवेश से स्थापित कराये जावेगें ।

4.2 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे तथा पड़ोसी राज्यों की सीमाओं के समीप लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु भूमि चिन्हित की जावेगी।

4.3 देश के लॉजिस्टिक्स के संबंधित बड़े समूहों को अभिरूचि प्रस्तावों के माध्यम से आमंत्रित किया जावेगा।

4.4 वाणिज्यिक लागत कम करने हेतु लॉजिस्टिक्स पार्क में नवीन तकनीक के उपयोग को प्रोत्साहित किया जावेगा।

4.5 निजी क्षेत्र में लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार निजी भूमि का अर्जन किया जा सकेगा।

4.6 लॉजिस्टिक्स पार्क को उद्योग का दर्जा देते हुए आकर्षक निवेश प्रोत्साहन दिये जावेगें। निवेश प्रोत्साहन औद्योगिक दृष्टि से विकासशील एवं पिछड़े क्षेत्रों के आधार पर वर्गीकृत कर दिये जावेगें ।

4.7 लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु आवश्यक क्लियरेन्स सिंगल विण्डों प्रणाली से समय–सीमा के भीतर दी जावेगी ।

5. परिभाषायें –

5.1 नीति में उल्लेख किये गये शब्दों का अर्थ इस नीति के परिशिष्ट – "एक" परिभाषायें अनुसार होगा।

5.2 इस नीति के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक होने पर औद्योगिक नीति 2014–19 की परिभाषाऐं लागू होंगी। विरोधाभास की स्थिति में इस नीति के परिशिष्ट एक की परिभाषाऐं मान्य होगी।

6. पात्रता –

राज्य में लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना एकल स्वामित्व, साझेदारी, कम्पनी, सहकारी समिति, सीमित दायित्व साझेदारी (LLP) संगठनों द्वारा की जा सकेगी व इसके लिए आवश्यक होगा कि –

6.1 आवेदक संस्था के नाम से एक चक में न्यूनतम 15 एकड़ लॉजिस्टिक्स पार्क हेतु प्रयोज्य भूमि (न्यूनतम 50 हजार मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता)।

6.2 पार्क में अधोसंरचना विकास हेतु न्यूनतम 15 करोड़ रूपये का स्थायी पूंजी निवेश।

6.3 आवेदक संस्था की न्यूनतम नेटवर्थ 7.50 करोड़ रूपये।

6.4 राज्य में नवीन लॉजिस्टिक्स पार्को की स्थापना नीति में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता होगी।

6.5 पार्क की स्थापना अभिस्वीकृति जारी होने के दिनांक से 30 माह के भीतर पार्क स्थापित करना होगा। अभिस्वीकृति उपरांत एम.ओ.यू. निष्पादित किया जाना आवश्यक होगा। क्रियान्वयन अवधि कार्य निष्पादन के गुण–दोष के आधार पर संचालक, उद्योग द्वारा अधिकतम 6 माह बढ़ायी जा सकती है।

6.6 लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना के पश्चात् दी जाने वाली अनुदान, छूट एवं रियायतों को निजी क्षेत्र में न्यूनतम स्थानीय रोजगार के साथ–साथ कार्य निष्पादन स्तर से भी संबंधित किया जावेगा, अर्थात निर्धारित न्यूनतम निष्पादन स्तर को पूर्ण करना आवश्यक होगा।

6.7 राज्य में लॉजिस्टिक्स पार्को के विकास हेतु राज्य के स्थानीय नागरिकों को रोजगार उपलब्ध कराने की औद्योगिक नीति की शर्त यथा अकुशल श्रेणी में न्यूनतम 90 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में न्यूनतम 50 प्रतिशत एवं प्रबंधकीय/प्रशासकीय श्रेणी में न्यूनतम 33 प्रतिशत की शर्तो का पालन करना होगा।

6.8 पार्क की स्थापना हेतु अभिन्यास पर नियमानुसार पर्यावरणीय क्लीयरेंस तथा नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग एवं अन्य विभागों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा व उनके मापदंडो का पालन किया जाना होगा।

6.9 लॉजिस्टिक पार्क की परियोजना बैंक/वित्तीय संस्थानों द्वारा वित्त पोषित होना आवश्यक है।

6.10 आवेदक संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में लॉजिस्टक्स पार्क के विभिन्न घटकों के प्रस्तावित क्षमता के साथ साथ उसके निश्चित समयावधि में उल्लेखित समुपयोजन/उपयोग किये जाने की संभावना भी प्रस्तावित होगी जो कि अभिस्वीकृति दिनांक से तृतीय वर्ष में कम से कम 50 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष में कम से कम 35 प्रतिशत, पंचम वर्ष में कम से कम 70 प्रतिशत तथा षष्ठम वर्ष कम से कम 80 प्रतिशत होना आवश्यक होगा। उक्त समुपयोजन/उपयोग सीमा के भौतिक लक्ष्य प्राप्ति के आधार पर ही ब्याज अनुदान देय होगा।

6.11. लॉजिस्टिक्स पार्क नीति का लाभ लेने वाले प्रकरणों में राज्य शासन अथवा भारत शासन अन्य नीतियों/नियमों के समान प्रकृति के अनुदान/छूट लाभ प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी तथापि समान प्रकृति के अनुदान/छूट की मात्रा में भिन्नता होने पर आवेदक अंतर की अनुदान मात्रा हेतु पात्र होगा।

6.12 गोदाम निर्माण हेतु निर्मित भंडारण क्षमता, निर्माण के कम से कम आगामी 10 वर्षों तक भंडारण के रूप में ही उपयोग की जावेगी एवं इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.13 परियोजना के स्वीकृति के उपरांत 10 वर्ष तक संपत्ति मूल्य के 50 प्रतिशत से अधिक का अंश विक्रय या अन्य किसी प्रकार से हस्तान्तरित नहीं किया जा सकेगा परन्तु मृत्यु अथवा अन्य किसी वैधानिक प्रक्रिया में आवश्यक होने पर प्रकरणवार समीक्षा की जाकर निर्णय लिया जावेगा।

6.14 स्कधं के भण्डारण हेतु स्कंध की प्रकृति के अनुसार नियमानुसार लायसेंस प्राप्त करना होगा।

6.15 विहित प्राधिकारी अथवा उनके द्वारा आदेशित किसी भी अधिकारी द्वारा समय–समय पर कार्य की प्रगति का निरीक्षण अथवा रिपोर्ट प्राप्त की जा सकेगी।

6.16 आवेदक को निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गुणवत्ता का गोदाम एवं अन्य निर्माण करना होगा। यदि निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गोदाम निर्माण नहीं किया जाता है तो आवेदक को योजना के अंतर्गत अनुदान की पात्रता नहीं होगी।

7. पार्को के चयन की प्रक्रिया –

7.1 राज्य में उपयुक्त स्थानों पर नवीन लॉजिस्टिक्स पार्को की स्थापना हेतु पात्र अभिरूचि प्रस्ताव ऑनलाईन प्राप्त किये जावेगें, जिसका निर्णय राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा– समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगा–

1. उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग – अध्यक्ष
2. संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, – सदस्य
4. संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग – सदस्य
5. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, – सदस्य
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
8. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि – सदस्य
9. अपर संचालक, उद्योग संचालनालय – सदस्य सचिव

समिति का कोरम 5 सदस्यों का होगा।

अध्यक्ष आवश्यकता अनुसार विषय विशेषज्ञ अथवा अन्य अधिकारियों को समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में बुला सकेगा।

उक्त समिति चयन प्रक्रिया हेतु आवश्यक कार्यवाही स्वतः कर सकेगी इसके लिये वह आवेदन प्रारूप का निर्धारण, उसका प्रकाशन, संकलन, आवश्यकतानुसार प्रस्तावित पार्क हेतु संभावित ज़ोन/स्थलों का पूर्व निर्धारण, चयन के मापदण्ड, प्रस्तावित स्थल का संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन आदि पर स्वतः निर्णय ले सकेगी।

7.2 राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के उपरांत चयनित पार्को का पंजीयन एवं उनके क्रियान्वयन की समीक्षा संचालक/आयुक्त उद्योग द्वारा की जायेगी। पश्चात आवश्यकतानुसार एम.ओ.यू. की प्रक्रिया पूर्ण की जावेगी।

7.3 चयनित पार्कों को प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर नीति में घोषित अनुदान, छूट एवं रियायतों की पात्रता, प्रत्येक जिले में केवल एक, होगी।

8. **लॉजिस्टिक्स पार्क के प्रमुख घटक** – लॉजिस्टिक्स पार्क के अंतर्गत निम्नांकित न्यूनतम घटकों का होना अपेक्षित है। इन घटकों के अंतर्गत हुए निवेश की गणना परिशिष्ट "एक" में उल्लेखित परिभाषाओं के अुनसार की जावेगी।

	अनिवार्य अधोसंरचना		लॉजिस्टिक्स सेवायें
1.	भूमि	1.	माल परिवहन
2.	भूमि विकास	2.	लोडिंग, अनलोडिंग
3.	पहुंच मार्ग	3.	वेयर हाउसिंग
4.	विद्युत आपूर्ति	4.	कस्टम एण्ड अन्य क्लीयरेंस
5.	जल आपूर्ति	5.	असेम्बलिंग ऑफ गुड्स
6.	आंतरिक सड़कें व नालियॉ	6.	टेक्नीकल टेस्टिंग
7.	लॉजिस्टिक अधोसंरचना	7.	क्वॉलिटी इन्सपेंक्शन
8	प्लांट एवं मशीनरी (यांत्रिक सुविधाएँ)	8	सप्लाई चेन प्रबंधन
9.	आधारभूत अधोसंरचना	9.	नापतौल की व्यवस्था
10.	साईलो का निर्माण	10.	पैकिंग/रिपैकिंग की व्यवस्था
		11.	बीमा एवं सुसंगत वित्तीय सहयोगी सेवाऐं
		12.	एयरकार्गो

9. नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क को दी जाने वाली अनुदान, छूट व रियायतें–

9.1 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान :–

क्षेत्र का प्रकार	15–40 एकड़ का लॉजिस्टिक्स पार्क (न्यूनतम 50 हजार मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता)	40 एकड़ से अधिक क्षेत्र का लॉजिस्टिक्स पार्क (न्यूनतम 1 लाख मैट्रिक टन भण्डारण क्षमता)
औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औ.नी. 2014–19 के अनुसार)	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 10.00 करोड़	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 35 प्रतिशत अधिकतम रू. 12.50 करोड़
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औ.नी. 2014–19 के अनुसार)	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम सीमा रू. 12.50 करोड़	पात्र स्थायी पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत अधिकतम रू. 15.00 करोड़

9.2 ब्याज अनुदान (केवल सावधि ऋण पर) :–

15–40 एकड़ पर विकसित किये जाने वाले नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क या 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर विकसित किये जाने वाले नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क पर ब्याज अनुदान निम्नानुसार दिया जावेगा–

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औ.नी. 2014–19 के अनुसार)	6 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 50 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 60 लाख वार्षिक ।
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औ.नी. 2014–19 के अनुसार)	7 वर्ष तक कुल भुगतान किए गए ब्याज का 60 प्रतिशत–अधिकतम सीमा रु. 100 लाख वार्षिक ।

टीपः– आवेदक संस्था द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में लॉजिस्टक्स पार्क के विभिन्न घटकों के प्रस्तावित क्षमता के साथ साथ उसके निश्चित समयावधि में उल्लेखित समुपयोजन/उपयोग किये जाने की संभावना के प्रस्ताव अनुसार अभिस्वीकृति दिनांक से तृतीय वर्ष में कम से कम 20 प्रतिशत, चतुर्थ वर्ष में कम से कम 40 प्रतिशत,पंचम वर्ष में कम से कम 70 प्रतिशत तथा षष्ठम वर्ष में कम से कम 80 प्रतिशत होना आवश्यक होगा। यह निर्धारण प्रत्येक त्रैमास की प्रारंभिक दिनांक के प्रगति के आधार पर किया जायेगा। उक्त सीमा अनुसार लक्ष्य प्राप्त न होने से संबंधित त्रैमास हेतु ब्याज अनुदान देय नहीं होगा तथापि आगामी त्रैमासों में लक्ष्य प्राप्त होने से संबंधित त्रैमासों हेतु ब्याज अनुदान देय होगा।

9.3 विद्युत शुल्क छूट :–केवल नवीन लॉजिस्टिक पार्को को विद्युत शुल्क से छूट–

15–40 एकड़ पर विकसित किये जाने वाले इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क या 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर विकसित किये जाने वाले इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पार्क पर विद्युत शुल्क छूट निम्नानुसार दिया जावेगा–

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औ.नी. 2014–19 के अनुसार)	लॉजिस्टिक्स पार्क में वाणिज्यिक गतिविधियॉ प्रारंभ करने के दिनांक से 08 वर्ष तक पूर्ण छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औ.नी. 2014–19 के अनुसार)	लॉजिस्टिक्स पार्क में वाणिज्यिक गतिविधियॉ प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्ष तक पूर्ण छूट

9.4 स्टाम्प शुल्क से छूट –

स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट निम्नांकित प्रकरणों में दी जायेगी –

9.4.1 (अ) लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु परियोजना प्रतिवेदन में दी गयी अधिकतम भूमि की मात्रा तक /लीज के प्रकरणों में न्यूनतम 30 वर्ष की लीज पर–

(ब) ऋण–अग्रिम से संबंधित विलेखों के निष्पादन पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति दिनांक से तीन वर्ष तक,

9.5 – औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में वेयरहाउसिंग पर भू आबंटन पर भू–प्रीमियम में छूट/रियायतः–

15–40 एकड़ पर विकसित किये जाने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क या 40 एकड़ से अधिक क्षेत्र पर विकसित किये जाने वाले लॉजिस्टिक्स पार्क पर भू–प्रीमियम निम्नानुसार दिया जावेगा–

औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्रों में (औ.नी. 2014–19 के अनुसार)	भू–प्रब्याजि में 20 प्रतिशत छूट
औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में (औ.नी. 2014–19 के अनुसार)	भू–प्रब्याजि में 25 प्रतिशत छूट

9.6– गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान–

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को WDRA/ आई0एस0ओ0– 9000, आई0एस0ओ0–14000, आई0एस0ओ0 18000, आई.एस.ओ. 22000 श्रेणी, आई.एस.ओ. 9001:2008, आई.एस.ओ. 16091:2002 एवं जेड प्रमाणीकरण या अन्य राष्ट्रीय/ अर्न्तराष्ट्रीय प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर हुये व्यय की 60 प्रतिशत राशि, अधिकतम रू. 1.50 लाख, की प्रतिपूर्ति प्रमाणीकरण प्राप्त करने पर की जाएगी।

9.7– तकनीकी पेटेन्ट अनुदान –

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को उनके मूल कार्य/अनुसंधान के आधार पर सफलतापूर्वक पंजीकृत एवं स्वीकृत पेटेन्ट के लिए प्रोत्साहित किया जावेगा एवं प्रत्येक पेटेन्ट हेतु किये गये व्यय की 60 प्रतिशत राशि अधिकतम रू. 6 लाख, की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

9.8– प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान –

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को इस योजना के अन्तर्गत एन.आर.डी.सी. या अन्य शासकीय अनुसंधान केन्द्रों से प्रौद्योगिकी क्रय के व्यय पर किये गये भुगतान का 60 प्रतिशत अधिकतम रू0 6 लाख की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

9.9 विकलांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान –

राज्य में स्थापित नवीन एवं विद्यमान लॉजिस्टिक पार्को को भारत सरकार के निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर का अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत् निःशक्तों को स्थायी नौकरी प्रदान करने पर उनके शुद्ध वेतन/ पारिश्रमिक की 25 प्रतिशत अनुदान की राशि की प्रतिपूर्ति तब तक की जावेगी जब तक उन्हें स्थायी नौकरी में रखा जाता है।

9.10 ई.पी.एफ. अनुदान की प्रतिपूर्ति–

डेव्हलपर द्वारा किये गये कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान पर 05 वर्षो तक प्रतिपूर्ति की जायेगी, जिसकी अधिकतम सीमा 1.00 लाख रू. प्रतिवर्ष होगी । प्रतिपूर्ति निम्नानुसार दिया जायेगाः–

अ. महिला रोजगार – 100 प्रतिशत

ब. पुरूष रोजगार – 75 प्रतिशत

9.11 वाहन पंजीयन शुल्क में छूट –

लॉजिस्टिक्स अधोसंरचना के लिए परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये माल परिवहन वाहनों की संख्या पर (अधिकतम 50 वाहन), जिनकी क्षमता 09 मे.टन से कम न हो, के पंजीयन शुल्क में 50 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

9.12 स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का वितरण प्रक्रिया –

लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना उपरांत दिये जाने वाले अनुदानों में स्थायी पूंजी निवेश अनुदान का वितरण निम्नांकित प्रक्रिया से किया जावेगाः–

1. प्रथम किश्त–कुल परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर – 30 प्रतिशत अनुदान
2. द्वितीय किश्त–कुल परियोजना का 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर – 30 प्रतिशत अनुदान
3. तृतीय किश्त–कुल परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर – 40 प्रतिशत अनुदान
4. अनुदान के भुगतान हेतु निर्मित अधोसंरचना का मूल्यांकन राज्य शासन की उपयुक्त एजेन्सी से कराया जावेगा जिस हेतु संचालक, उद्योग अधिकृत होंगे।
5. अनुदान के किश्तों के भुगतान हेतु ऋण स्वीकृतिकर्ता बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा,
6. परिस्थिति जन्य होने पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त का भुगतान एक साथ किया जा सकेगा।

10. लॉजिस्टिक्स पार्क के डेव्हलपर के दायित्व –

1. न्यूनतम 15 एकड़ भूमि का वैद्य आधिपत्य हो,
2. डेव्हलपर को लॉजिस्टिक पार्क का संचालन/संधारण न्यूनतम 10 वर्ष तक स्वयं करना होगा। 10 वर्ष की अवधि समाप्त पश्चात उद्योग आयुक्त/उद्योग संचालक की लिखित अनुमति के उपरांत संचालन/संधारण हेतु हस्तांतरित किया जा सकेगा।
3. निर्धारित अवधि में लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना न होने पर वितरित अनुदान राशि एवं छूट राशियों की वसूली भू–राजस्व से वसूल की जावेगी।
4. डेव्हलपर को राज्य शासन की स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार की शर्त का पालन करना होगा।
5. स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करना आवश्यक होगा।

11. बजटीय प्रावधान–

लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना हेतु दिये जाने वाले अनुदानों के संबंध में पृथक बजटीय प्रावधान किया जावेगा।

12. क्रियान्वयन अवधि व समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति की कालावधि 01 अप्रैल 2018 से प्रारंभ होकर दिनांक 31 मार्च 2023 तक होगी। इस नीति के क्रियान्वयन के लिए सुसंगत नियमों को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किया जायेगा। 05 वर्षों की इस कालावधि में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग छत्तीसगढ़ शासन को यह अधिकार होगा कि वह राज्य के वाणिज्यिक विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रावधानों की समय–समय पर समीक्षा कर उसमें नये प्रावधानों का समावेश/संशोधन एवं अंकित प्रावधानों का विलोपन करे ।

छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018

परिभाषाएं :–

1. **"नियत दिनांक"** से आशय है – छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक्स पार्क नीति 2018 के प्रभावी होने का दिनांक अर्थात् 01 अप्रैल, 2018,
2. **"औद्योगिक दृष्टि से विकासशील क्षेत्र"** से आशय है **"औद्योगिक नीति 2014–19 में** परिभाषित क्षेत्र,
3. **"औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र"** से आशय है **"औद्योगिक नीति 2014–19 में** परिभाषित क्षेत्र,
4. **लॉजिस्टिक पार्क** – लॉजिस्टिक पार्क से आशय है देश–विदेश/राज्य की वस्तुओं और उत्पादों का उद्गम से अंतिम गंतव्य के बीच सुव्यवस्थित व संरक्षित तथा मशीनीकृत व्यवस्थापन सेवाऐं उपलब्ध कराना। जिसमें सम्मिलित है– परिवहन (रेल/वायु/सड़क), लोडिंग, अनलोडिंग, शेड भवन, अस्थायी भण्डारण क्षेत्र, 50 हजार मे. टन कुल क्षमता का शेडयुक्त वेयरहाउस (न्यूनतम 10 हजार मे.टन क्षमता प्रति शेड), कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वेब्रिज, ग्रेडिंग, छटाई, पैकिंग/रिपैकिंग, मटेरियल हैण्डलिंग की मशीनीकृत व्यवस्था, लिफ्टिंग, पार्किंग एरिया, टेस्टिंग, असेम्बलिंग, एयरकार्गो फैसिलिटी, प्लांट एवं मशीनरी (यांत्रिक सुविधाऐं), मेकेनाइज्ड मटेरियल हेंडलिंग, बल्क एवं ब्रेक बल्क कार्गो टर्मिनल, इन्टर मोडल ट्रांसफर इत्यादि। उक्त पार्क में फ्रेट एग्रीगेशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग, वेल्यू एडेड सेवाएं जिससे कि हेंडलिंग कॉस्ट में कमी तथा ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले समय में कमी होती हो, से संबंधित सेवाएं प्रदाय की जानी सम्मिलित है।

   लॉजिस्टिक्स पार्क में आवश्यकतानुसार अधोसंरचना भी सम्मिलित है, जैसे– भूमि विकास, आंतरिक सड़कें, पहुंचमार्ग, पार्क में विद्युत लाईन व्यवस्था, जल आपूर्ति व्यवस्था, संचार व्यवस्था, सीवरेज एवं ड्रेनेज लाईन, एवं डिस्पोजल सुविधाऐं।

   टीपः–लॉजिस्टिक पार्क की परियोजना रिपोर्ट में निहित मदों के संबंध में वृद्धि या कमी के संबंध में राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
5. **नवीन लॉजिस्टिक्स पार्क** – नवीन लॉजिस्टिक पार्क से आशय है, वह अधोसंरचना लॉजिस्टिक्स पार्क की परिभाषा के अंतर्गत आता है एवं साथ ही 01 अप्रैल 2018 के पश्चात लॉजिस्टिक्स पार्क की स्थापना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदन/एम.ओ.यू. निष्पादन उपरांत निवेश करता है एवं अधिकतम 31 मार्च 2023 के पूर्व लॉजिस्टिक्स पार्क की वाणिज्यिक गतिविधियॉ प्रारंभ कर देता है।
6. **वेयरहाउस** – वेयरहाउस से आशय है 50 हजार मे. टन कुल क्षमता का शेडयुक्त वेयरहाउस (न्यूनतम 10 हजार मे.टन क्षमता प्रति शेड) जिसमें कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, ऑटोमोबाईल्स, मेडिसीन, केमिकल्स, टेक्सटाईल, फर्नीचर, गैस, आयल, हर्बल प्रोडक्ट्स, वन्य धन पर आधारित उत्पाद, सीमेंट, स्टील, हेण्डलूम, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, व्हाइटगूड्स, इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रीकल उत्पाद, उपभोग्ता उत्पाद, कोयला, लौह अयस्क, बाक्साइट आदि का संग्रहण किया जाता हो।
7. **प्लांट एवं मशीनरी (यांत्रिक सुविधाऐं)** – यांत्रिक सुविधाऐं से आशय है माल ढुलाई संग्रहण, परिवहन एवं पार्क के भीतर लॉजिस्टिक सेवाऐं प्रदान करने हेतु ऐसी सुविधाऐं जो यांत्रिकी तंत्र से सुसज्जित हो एवं स्वचालित मशीनरी, रोबोटिक्स एवं उत्कृष्ट सूचना प्रौद्योगिकीय तंत्र के प्रयोग से माल ढुलाई एवं परिवहन को सुगम बनाती हो, जैसे – Pallets, forklift truck, metal racks, conveyor belt systems, machenised trollys, inventory management software and hardware (bar-code scanners, RFID scanners, etc.), Craine etc.

8. **स्थायी पूंजी निवेश** से आशय है लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना/विस्तार हेतु किया गया निवेश व इसमें सम्मिलित है परिसर में न्यूनतम 15 एकड़ भूमि (भूमि का मूल्य स्थायी पूंजी निवेश में सम्मिलित नहीं किया जावेगा)/भूमि– विकास, शेड–भवन, लॉजिस्टिक अधोसंरचना, वेयरहाउस, प्लांट एवं मशीनरी (यांत्रिक सुविधाएँ) विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति तथा बाउन्ड्रीवाल तथा माल के परिवहन वाहनों पर किया गया निवेश (परिवहन वाहनों पर किया गया अनुदान प्रयोजन हेतु मान्य नहीं होगा)।

9. **अधोसंरचनात्मक लागत** – से आशय है भूमि विकास, पहुंच मार्ग, आंतरित सड़कें, विद्युत आपूर्ति व जल आपूर्ति पर किया गया निवेश।

10. **भूमि** :– भूमि से आशय है, नवीन लॉजिस्टिक पार्को के प्रकरणों में न्यूनतम 15 एकड़ भूमि का वैध स्वामित्व एवं आधिपत्य। परियोजना लागत में भूमि मद में किया गया निवेश, स्थायी पूंजी निवेश प्रयोजन हेतु मान्य नहीं किया जावेगा।

11. **भूमि विकास** से आशय है व उसमें सम्मिलित हैं भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग। इस मद में अधोसंरचना लागत का अधिकतम 05 प्रतिशत राशि ही मान्य की जावेगी।

12. **पहुंच मार्ग** से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो निकटवर्ती मार्ग से पार्क तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते कि शासन के किसी विभाग/उपक्रम/एजेंसी का कोई पहुंच मार्ग औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक पार्क तक न हो। परियोजना प्रयोजन हेतु अधिकतम 50 लाख रूपये का पूंजी निवेश मान्य होगा।

13. **"विद्युत आपूर्ति"** से अभिप्रेत है पार्क में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु डेव्लपर द्वारा छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण/पारेषण कंपनी को भूगतान की गई राशि तथा आंतरिक विद्युतीकरण व बाह्य विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाईट व्यवस्था एवं विद्युत उपकेंद्र/डी.जी. सेट पर किया गया व्यय।

    टीप : इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी।

14. **जल आपूर्ति निवेश** से अभिप्रेत है **पार्क के बाहर/भीतर के स्त्रोतों से** पार्क में जल आपूर्ति हेतु किया गया निवेश, जिसमें ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सम्मिलित है, (सिक्यूरिटी डिपाजिट व सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोडकर) यदि शासन के प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो।

15. **आंतरिक सड़के एवं ड्रेनेज व्यवस्था** से आशय है लॉजिस्टिक पार्क के चतुर्सीमा के भीतर निर्मित सड़के एवं नालियॉ व ड्रेनेज व्यवस्था।

16. **शेड–भवन** से आशय है और इसमें सम्मिलित है पार्क के परिसर में भूमि पर निर्मित प्रशासकीय भवन, कवर्ड पार्किंग, स्टोर्स तथा वर्कशॉप

17. **"लॉजिस्टिक अधोसंरचना"** से आशय है, माल परिवहन के ट्रक, डोजर इत्यादि, अस्थायी भण्डारण क्षेत्र, शेडयुक्त वेयरहाउस (न्यूनतम 10 हजार मे.टन क्षमता प्रति शेड), कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, वेब्रिज, ग्रेडिंग, छटाई, पैकिंग/रिपैकिंग, मटेरियल हैण्डलिंग की मशीनीकृत व्यवस्था, लिफ्ट, पार्किंग एरिया टेस्टिंग, असेम्बलिंग, सेवरेज एवं ड्रेनेज लाईन, इत्यादि।

टीपः– लॉजिस्टिक पार्क की लाभदायकता हेतु उपरोक्त में कमी बढ़ोतरी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।

18. **"आधारभूत अधोसंरचना"** से आशय है, व इसमें सम्मिलित है, बैंक, ए.टी.एम., पोस्ट ऑफिस, पुलिस चौकी, फायर ब्रिगेड, कैंटीन कॉन्फ्रेन्स हॉल, ट्रेनिंग सेंटर, श्रमिक कल्याण/विश्राम केंद्र, क्लीनिक, पूजा घर/मंदिर एवं कॉमन फेसलिटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, वृक्षारोपण, पर्यावरण के संरक्षण हेतु किये गये उपाय, आंतरिक सड़के एवं ड्रेनेज व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ।

19. **वाणिज्यिक प्रमाण पत्र**– वाणिज्यिक प्रमाण पत्र से आशय है पार्क की स्थापना पूर्ण हो जाने पर उद्योग संचालनालय द्वारा जारी वाणिज्यिक प्रमाण पत्र, जिसमें पार्क की स्थायी लागत, पार्क में प्रारंभ की गयी वाणिज्यिक गतिविधियॉ, रोजगार व स्थानीय रोजगार, वाणिज्यिक गतिविधियॉ प्रारंभ करने का दिनांक आदि का समावेश होगा व इसके आवेदन पत्र का प्रारूप तथा प्रमाण पत्र का प्रारूप जो संचालनालय द्वारा निर्धारित किया जावेगा।

20. **योजना लागत** से आशय है पार्क की स्थापना हेतु पात्र व्यक्तियों द्वारा राज्य शासन के साथ निष्पादित किये गये एम.ओ.यू. में अंकित परियोजना लागत या उद्योग संचालनालय में प्रस्तुत परियोजना लागत, जिसकी अभिस्वीकृति प्राप्त की गयी हो।

21. **कुशल श्रमिक, अकुशल श्रमिक व प्रशासकीय/प्रबंधकीय पद** की वही परिभाषा मान्य की जायेगी जो राज्य शासन द्वारा समय –समय पर जारी की जावे।

22. **राज्य के मूल निवासी** से अभिप्रेत है जिन्हें राज्य शासन द्वारा समय–समय पर राज्य के मूल निवासी के रूप में परिभाषित किया जावे तथा जो इसके लिये सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र धारित करता हो ।

23. **स्थायी रोजगार** – स्थायी रोजगार से आशय औद्योगिक इकाई द्वारा पंजीकृत स्थापित उद्योग में प्रबंधन/कुशल श्रम/अकुशल श्रम की श्रेणी में अधिकारियों/कर्मचारियों/श्रमिकों को उनकी सेवाओं हेतु सीधे दिये जाने वाले वेतन/पारिश्रमिक अर्थात् इसमें ठेकेदार के माध्यम से उपलब्ध कराया गया रोजगार सम्मिलित नही होगा।

24. **पार्क परिसर** – पार्क परिसर से आशय है राज्य शासन/उद्योग विभाग की किसी एजेंसी द्वारा औद्योगिक परियोजना की स्थापना हेतु/औद्योगिक प्रयोजन हेतु आबंटित भूमि एवं/या वैध रूप से क्रय की गई भूमि की चतुर्सीमा।

25. **कार्य निष्पादन चरण** – कार्य निष्पादन चरण से आशय है, पार्क डेव्हलपर द्वारा प्रस्तावित परियोजना में प्रस्तावित क्षमता अनुसार कार्य स्तर को परियोजना पूर्ण होने पर चरणबद्ध रूप से प्राप्त करता है। यह चरणबद्धता अभिस्वीकृति दिनांक से निम्नानुसार होगी –

तृतीय वर्ष	–	20 प्रतिशत
चतुर्थ वर्ष	–	40 प्रतिशत
पंचम वर्ष	–	70 प्रतिशत
षष्ठम वर्ष	–	80 प्रतिशत

टीप– उपर्युक्त परिभाषाओं के संबंध में विवाद की स्थिति में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।